न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, चितौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी **इन्द्रजीत सिंह,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 05/2014 (रा.गु.नि.)
पंजीयन दिनांक 11.03.2014

सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–प्रार्थी

बनाम

श्री प्रहलाद पिता श्री हनुमान प्रसाद भाम्बी निवासी गली नम्बर 01 एफ. सी. आई. गोदाम के पीछे चन्देरिया, थाना चन्देरिया, जिला चित्तौड़गढ़

–गैरसायल

कार्यवाही : अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम,1975

उपस्थिति : 1– अभियोजन अधिकारी, राजकीय पैरोकार
2– श्री चन्द्रशेखर जोशी, अधिवक्ता गैरसायल

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

दिनांक 24.07.2018

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा गैरसायल के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 धारा 3 के तहत इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि गैरसायल एफ. सी. आई. गोदाम के पीछे, चन्देरिया, थाना चन्देरिया, जिला चितौड़गढ़ का निवासी होकर उक्त व्यक्ति आपराधिक प्रवृति का है। दिनों–दिन इसकी आपराधिक गतिविधियां बढती ही जा रही है। यह जुआ सट्टा खेलने संबंधी अपराध करने का आदि है। इस व्यक्ति के भय से आम जनता इतनी भयभीत है कि कोई भी व्यक्ति इसके विरूद्ध गवाही देने का साहस ही नही करता है। अतः गैरसायल के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 धारा 3 के तहत कार्यवाही की जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को तलब किया जाकर नोटिस सुनाया गया। गैरसायल की ओर से अधिवक्ता श्री चन्द्रशेखर जोशी द्वारा अधिकार पत्र प्रस्तुत किया। गैरसायल ने नोटिस सुन–समझ कर आरोप अस्वीकार किये एवं जवाब प्रस्तुत कर ट्रायल चाही जिससे गैरसायल को आगामी तारीख पेशी पर उपस्थित

होने हेतु जमानत एवं मुचलके प्रस्तुत करने के आदेश दिये। गैरसायल द्वारा आदेश की पालना में मुचलका एवं जमानत पत्र प्रस्तुत किये जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

अभियोजन अधिकारी द्वारा साक्ष्य पैरवी में श्री मनोहर सिंह हाल उ. नि. थाना भीम, श्री महेन्द्रसिंह हाल उ. नि. वल्लभनगर, श्री गोपाल मीणा कानि. 475, श्री गणपतलाल तेली हाल उ. नि. थाना निम्बाहेड़ा के बयान कराये।

गैरसायल द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अवसर चाहा गया। गैर सायल को साक्ष्य प्रस्तुत करने के पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी साक्ष्य प्रस्तुत नही करने से साक्ष्य बन्द कर बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

अभियोजन अधिकारी, पैरोकार सरकार का मुख्य कथन यह रहा कि गैरसायल आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है, दिनों-दिन इसकी आपराधिक गतिविधियां बढती ही जा रही है। यह व्यक्ति जुआ सट्टा खेलने संबंधी अपराध करने का आदि है। इस व्यक्ति के भय से जनता इतनी भयभीत है कि कोई भी व्यक्ति इसके विरूद्ध गवाही देने का साहस ही नही करता है। गैरसायल के विरूद्ध वर्ष 2011 एवं वर्ष 2012 में 4 प्रकरण दर्ज हुए हैः-

1-प्रकरण संख्या 264/2011 4/25 आर्म्स एक्ट
2-प्रकरण संख्या 139/2012 13 आरपीजीओ एक्ट
3-प्रकरण संख्या 182/2012 13 आरपीजीओ एक्ट
4-प्रकरण संख्या 385/2012 4/25 आर्म्स एक्ट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

गैरसायल को 13 आरपीजीओ के दो प्रकरणों में सजा हुई है तथा आर्म्स एक्ट के दो प्रकरणों में से 1 मे दोषमुक्त किया गया एवं एक जैर ट्रायल है। उक्त प्रकरण में उपस्थित गवाहान ने भी अपने बयानों में गैरसायल का आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होना व किसी भी व्यक्ति द्वारा इसके भय के कारण साक्ष्य नही देने के संबंध में इस्तगासे में अंकित तथ्यों की पुष्टि की है। गैरसायल के विरूद्ध दर्ज उक्त प्रकरणों के तथ्यों के आधार पर उसे गुण्डा घोषित करने के पर्याप्त आधार उपलब्ध है। अतः गैरसायल को गुण्डा घोषित करते हुए इस जिले से 6 माह की अवधि के लिए निष्काषित करने के आदेश फरमाये जावे।

गैरसायल के अधिवक्ता का मुख्य कथन यह रहा कि गैरसायल ने न तो अपराध कारित किये हैं और न ही वह आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहा है। गैरसायल के खिलाफ ऐसा कोई आपराधिक मामला न तो विचाराधीन है एवं न ही निर्णित हुआ है उक्त प्रकरणों में गवाह केवल मात्र पुलिसकर्मी ही है। यदि गैरसायल द्वारा किसी भी व्यक्ति को परेशान या भयभीत किया गया है तो किसी के भी द्वारा एफ. आई. आर. थाने में दर्ज क्यों नहीं कराई गई है। गैरसायल के विरूद्ध दर्ज उक्त प्रकरणों मे एक में दोष मुक्त हुआ है एवं एक जैर ट्रायल है जबकि अन्य 02 प्रकरण

13 आरपीजीओ के होकर गैरसायल ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर स्वयं जुर्म स्वीकार किया। वर्ष 2012 के बाद उसके विरूद्ध किसी भी धारा के अपराधिक मामले दर्ज नही हुए है। गैरसायल गरीब व्यक्ति होकर मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का बडी मेहनत से शान्तिपूर्वक भरण पोषण कर रहा है। मोहल्ले में कभी कोई शान्ति भंग नही की है, जिससे मोहल्ले में विपरीत प्रभाव पड़ता हो। गैरसायल के विरूद्ध किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई शिकायत पुलिस में दर्ज नही कराई है। अतः सहानुभूति का रूख अपनाते हुए प्रकरण खारीज फरमाया जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा एवं उपलब्ध अन्य अभिलेखों का गहनताा से अवलोकन किया। गैरसालय के विरूद्ध वर्ष 2011 से 2012 के बीच कुल 04 प्रकरण जिनमें 2 आर्म्स एक्ट एवं 2 आर.पी.जी. ओ. एक्ट के प्रकरण दर्ज हुए हैं आर्म्स एक्ट के एक प्रकरण में दोषमुक्त हुआ है एवं एक जैर ट्रायल है एवं दोनों ही 13 आर. पी. जी. ओ. एक्ट के प्रकरण में गैरसायल को सजा हुई है। गैरसायल के विरूद्ध उक्त चारों प्रकरण वर्ष 2012 तक दर्ज होकर तीन प्रकरणों का निस्तारण हो चुका है तथा लम्बित एक प्रकरण के संबंध में गैरसायल को सजा होने संबंधी कोई साक्ष्य प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया है। वर्ष 2012 के बाद गैरसायल के विरूद्ध कोई प्रकरण दर्ज नही हुआ है तथा इसके बाद गैरसायल का जिले एवं उसके किसी भाग में धारा (2) के खण्ड (ब) के उपखण्ड 1 से 8 में वर्णित कार्य करने में रत होना एवं उनके दुष्प्रेरण में लगा हुआ होना भी नही पाया गया।

अतः गैरसायल को भविष्य में इस प्रकार के कृत्य नहीं करने की चेतावनी देते हुए, उसके परिवार की परिस्थितियों को मध्यनजर रख, सहानुभूति रखते हुए प्रार्थी द्वारा राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम,1975 धारा 3 के तहत गैरसायल को गुण्डा घोषित किये जाने हेतु प्रस्तुत इस्तागासा खारीज किया जाता है।

'निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।'

(इन्द्रजीत सिंह)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official